

NHB(ND)/ROD/RRB/Refinance Circular 4/2014-15

Dated : 22-12-2014



To All Regional Rural Banks

Madam / Sir,

**Refinance Circular No. 4/2014-15
Urban Housing Fund - Tenure and Eligible Loans**

1. Increase in Tenure

The maximum tenure of refinance extended under the Urban Housing Fund (UHF) have been increased with immediate effect. The revised tenure of refinance disbursements made under the Urban Housing Fund on or after the date of this circular, are as under :

	Original	Revised
Minimum Tenure	3 years	No change
Maximum Tenure	7 years	10 years

Thus, refinance under the Urban Housing Fund will be available to the RRBs for maximum tenure of 10 years at fixed rate of interest without any reset.

2. Clarification on Eligible Loans

It is clarified that under the Urban Housing Fund, the criteria with respect to size / cost of dwelling units is applicable only in respect of new units. The said criteria is not applicable in case of loans for repairs / renovation and upgradation of existing dwelling units.

3. All other terms and conditions under the Urban Housing Fund refinance scheme as applicable to Regional Rural Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)

Deputy General Manager

Refinance Operations

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-2464 9031-35 फ़ैक्स : 011-2464 6988, 2464 9041
वेबसाइट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in तार निवास बैंक

Wholly owned by Reserve Bank of India

Core 5-A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : PBX 011-2464 9031-35 Fax : 011-2464 6988, 2464 9041

Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in Gram : NIWAS Bank

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

दिनांक: 22.12.2014

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय/महोदया,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 4/2014-15
शहरी आवास निधि - अवधि एवं पात्र ऋण

1. अवधि में वृद्धि

शहरी आवास निधि (यूएचएफ) के तहत प्रदान किए गये पुनर्वित्त की अधिकतम अवधि तुरंत प्रभाव से बढ़ा दी गयी है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा इसके बाद से शहरी आवास निधि के तहत किए गये पुनर्वित्त संवितरणों की संशोधित अवधि निम्नानुसार है:

	मूल	संशोधित
न्यूनतम अवधि	3 वर्ष	कोई बदलाव नहीं
अधिकतम अवधि	7 वर्ष	10 वर्ष

इस प्रकार आरआरबी को शहरी आवास निधि के तहत पुनर्वित्त बिना किसी पुनर्निर्धारण ब्याज के स्थिर दर पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि हेतु उपलब्ध रहेगी।


2. पात्र ऋणों पर स्पष्टीकरण

यह स्पष्ट किया जाता है कि शहरी आवास निधि के तहत आवास इकाईयों के आकार/लागत के संबंध में मानदंड केवल नई इकाईयों के संबंध में लागू हैं। उक्त मानदंड मौजूदा आवास इकाईयों की मरम्मत/नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ऋणों के मामले में लागू नहीं हैं।

3. ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत अन्य सभी नियम एवं शर्तें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर यथा लागू एवं समय - समय पर यथा संसूचित जारी रहेंगे।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी. वैदेश्वरन)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिपत्र 4/2014-15